न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 27/2021 तारीख रजू 05.04.2021

सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

मोतीलाल पुत्र देवबक्स जाति कोली निवासी बह0 खुर्द तह0 खण्डार

.......अप्रार्थी

उपस्थित – प्रार्थी – पेराकार राजस्व

अप्रार्थीगण– श्री राधेश्याम वैष्णव एड0

निर्णय दिनांक 27/6/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1999 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी मोतीलाल पुत्र देवबक्स जाति कोली निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 1322/1044 रकबा 1.00बीघा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द में आदेश दिनांक 28.06.1999 को आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा रकबा 1322/1044 रकबा 1.00बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत बहरावण्डा खुर्द व पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने पर आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थी की ओर से श्री राधेश्याम बैष्णव एड0 द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि खसरा नम्बर 1322/1044 रकबा 1.00बीघा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द की भू. अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक [illegible]01/2021 की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आवंटी का अनवरत कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। विद्वान पेरोकार सरकार द्वारा पुनःश्च तर्क किया गया

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कि खसरा गिरदावरी चौसाला सम्वत 2074–76 के अनुसार उक्त भूमि लगातार पड़त पड़ी हुई है जो कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में वकील पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 28.06.1999 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2053 से सम्वत 2076 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द व खसरा नम्बर 981 की कब्जा रिपोर्ट कुल 12 कितां दस्तावेज पेश किये जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात का हवाला देते हुये तर्क दिया कि उनके पक्षकार का आवंटितशुदा रकबे पर आवंटन से आज दिनांक तक कब्जा काश्त है तथा उक्त खसरा नम्बरान की खसरा गिरदारवरी में स्पष्ट रूप से फसल काश्त किया जाना अंकित किया गया है। पुनः अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेरोकार सरकार के कथन की अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गयी है का खण्डन करते हुये तर्क दिया गया कि कब्जा रिपोर्ट दिनांक 08–07–1999 के अनुसार उनके पक्षकार मोतीलालको आवंटितशुदा रकबा का कब्जा संभलाया गया था ।तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी भूमि पर काबिज है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी अप्रार्थी मोतीलाल पुत्र देवबक्स जाति कोली निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 1322/1044 रकबा 1.00बीघा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम बहरावण्डा खुर्द में आदेश दिनांक 28.06.1999 को आवंटन किया गया था। यह है कि आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 1335 दर्ज होकर दिनांक 28/07/1999 को स्वीकार हुआ। भू अभिलेख निरीक्षक बहरावण्डा खुर्द एवं पटवारी हल्का बहरावण्डा खुर्द की मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर–खातेदार अप्रार्थी मोतीलाल पुत्र देवबक्स जाति कोली निवासी बहरावण्डा खुर्द तहसील खण्डार का आराजी खसरा नम्बर 1322/1044 रकबा 1.00बीघा किस्म बारानी–3 पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं होना अंकित किया गया है लेकिन खसरा गिरदावरी सम्वत 2057 से सम्वत 2072 का अवलोकन करने पर यह [illegible] है कि उक्त आवंटित शुदा भूमि लगातार काश्त की जा रही है [illegible] तहसीलदार द्वारा आवंटी के कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटन शर्तों की [illegible] नहीं किये जाने संबधी रिपोर्ट निराधार प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल – बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

किये हुये अपूर्ण स्थिति में भिजवाये गये है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण तहसीलदार खण्डार को प्रतिपेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बहरावण्डा खुर्द के आराजी खसरा नम्बर 1322/1044 रकबा 1.00बीघा की स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थित में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक ....25/6/22.... को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:27:46 IST
Reason: SelfAttested